

मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी
MAULANA AZAD NATIONAL URDU UNIVERSITY

(संसद के अधिनियम १९९८ द्वारा स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

(राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् द्वारा "ए" ग्रेड प्राप्त)

स्थापना एवं भर्ती अनुभाग- II



मानू/ई.आर-I(बी)/एफ.110/2019-20/1916

दिनांक-06.03.2020


परिपत्र

विषय : बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली के अस्थाई रूप से निलंबित किए जाने के संबंध में।
संदर्भ : दिनांक 06.03.2020 को कुलपति द्वारा अनुमोदित।

यह सूचित किया जाता है कि नोवेल कोरोना वायरस 2019(कोविड-19) के प्रकोप को देखते हुए और एहतियाती उपाय के रूप में, विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर(कैम्पस) तथा देश के अन्य स्थानों पर स्थित ऑफ-कैम्पस/संस्थानों/कार्यालयों में काम करने वाले सभी शैक्षिक एवं गैर-शैक्षिक कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली(बीएएस) पर उपस्थिति के अंकन को अगला आदेश आने तक अस्थायी रूप से निलंबित करने का निर्णय लिया गया है।

2. अतः सभी शैक्षिक एवं गैर-शैक्षिक कर्मचारियों को उपस्थिति रजिस्ट्रों में अपनी उपस्थिति को चिह्नित करने तथा विश्वविद्यालय के समय का पालन करने की आवश्यकता है।

3. इसके अतिरिक्त, सभी कर्मचारियों से अनुरोध है कि वे नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के खतरे से निपटने के लिए सुरक्षात्मक उपाय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अर्धशासकीय पत्रांक. एफ.सं.1-14/2020 दिनांक 05.03.2020 द्वारा जारी सलाह का पालन करें।


प्रभारी कुलसचिव

प्रति

1. सभी अध्ययन संकाय के संकायाध्यक्ष।
2. सभी विभागाध्यक्ष/ अनुभाग अध्यक्ष(शैक्षिक एवं गैर-शैक्षिक)
3. सभी निदेशालयों/केन्द्रों के निदेशक।
4. सभी सीटीई/पॉलिटेकनीक/लखनऊ कैम्पस/ए एस सी डब्ल्यू/मॉडल स्कूल के प्रधानाचार्य।
5. सभी क्षेत्रीय केन्द्रों/उप-क्षेत्रीय केन्द्रों के क्षेत्रीय निदेशक/सहायक क्षेत्रीय निदेशक।
6. उप-कुलसचिव, ई.आर-I
7. सहायक कुलसचिव, ई.आर-II
8. कुलपति/कुलसचिव/वित्त अधिकारी कार्यालय।
9. निदेशक, सीआईटी (यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर सूचना को अपलोड करने के अनुरोध के साथ)